बाबूसिंह व अन्य Vs. सवाई राम इत्यादि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21-11-17	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता श्री रामेश्वर दवे उपस्थित एवं रेस्पोंडेंट के अधिवक्ता श्री मनोज राज पुरोहित उपस्थित। अपील पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में 6/4/16 को नियत थी तथा आगामी दिनांक 13/7/16 दी गई थी। लेकिन पत्रावली नियत दिनांक से पूर्व अपीलांट की अनुपस्थिति में बिना सुनवाई के निर्णित कर दी गई है। अतः अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावे। रेस्पोंडेंट के अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 8/7/16 को निर्णय पारित किया है वह सही है। अतः अपील खारिज की जावे। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली 6/4/16 को सुनवाई में नियत थी। उसके पश्चात 13/7/16 सुनवाई हेतु रखी गई।	

...अपील आबकारी

हुक्म		हुक्म की तामील में जारी हुए

परंतु पत्रावली दिनांक 13/7/16 को सुनवाई में आने से पूर्व ही अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 8/7/16 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश निर्धारित प्रक्रिया को अपनाते हुए उभयपक्षकारान को पूर्ण सुनवाई का अवसर देते हुए पारित नहीं किया है। अतः प्रकरण रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 8/7/16 निरस्त किया जाता है। एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण को उभयपक्षकारान समुचित सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार पुनः निर्णीत करें।

आदेश आज दिनांक 21/11/17 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली सहित आदेश की प्रति आग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां को प्रेषित हो।

[signature]
21/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर